अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री दीनदयाल बाकोलिया, आर.ए.एस.

सादुलसिंह बनाम गुलाबकंवर आदि

दावा बाबत :– घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न0 82/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 266 तादादी 1–00 बीघा वाके रोही बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अंकन को निरस्त किया जाता है व वादगत भूमि का अकेले वादी सादुलसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादगत भूमि खसरा संख्या 266 तादादी 1–00 बीघा सम्पूर्ण वाके रोही बाढसर अकेले वादी सादुलसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 17 को जरीये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वो वादी की भूमि में किसी प्रकार से दखल नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी स्वंय वहन करें। अन्तिम डिक्री पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2018

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा .... बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)